



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44233

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6946/2026

शिव कुमार उर्फ गुड्डू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदकों के अधिवक्ता : नूर मोहम्मद, योगेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए., प्रवीण कुमार, सुधीर कुमार

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता के पिता ने अपनी लगभग 17 वर्ष और 11 माह की नाबालिग बेटी के लापता होने के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी। पीड़िता के मिलने पर बी.एन.एस.एस. की धारा 180 और 183 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना वाले दिन वह आवेदक के साथ अपनी मर्जी से इलाहाबाद गई थी, जहां उन्होंने एक मंदिर में विवाह किया, उसके बाद वे हिमाचल प्रदेश गए और अब वह गर्भवती है। पीड़िता ने आंतरिक चिकित्सा जांच से इनकार कर दिया है। रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 18 वर्ष है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि पीड़िता के बयानों के अनुसार वह सहमति देने वाली पक्ष प्रतीत होती है और आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह **अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधिवत सहयोग करने के लिए तैयार है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तत्पर है। आगे उन्होंने बताया कि आवेदक 06.01.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि आवेदक की निर्दोषता का निर्णय पूर्व-परीक्षण स्तर पर नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

4. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

5. आवेदक शिव कुमार उर्फ गुड्डू को मुकदमा अपराध संख्या 383/2025 में, बीएनएस की धारा 137(2), 87, 64 और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 5जे(2)/6 के तहत, थाना- अलापुर, जिला- बदायूं में, व्यक्तिगत मुचलका भरने और दो स्थानीय जमानतदारों को समान राशि में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

25 फ़रवरी 2026

मुस्तकीम

Translated Version. Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।